

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 223/2019

1. रचित चाहर पुत्र भूपसिह नाबालिग जरिये माता सुनिता रानी पत्नी भूपसिह जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. रायसिह पुत्र सहीराम } जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला
2. भूपसिह पुत्र रायसिह } हनुमानगढ।
3. मंजू पुत्री रायसिह पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी गोदेकां तहसील डबवाली जिला सिरसा हरि०। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रोहिताश चाहर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से दर्ज चकनं० 14 एफटीपी के खाता सं० 126/118 में कुल .759 है० व चकनं० 14 एफटीपी के खाता सं० 127/132 में से कुल .101 है० आराजी का वादी रचित चाहर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० चकनं० 14 एफटीपी के खाता सं० 126/118 व इसी चक के खाता सं० 127/132 में से प्रतिवादीसं० 1 रायसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...26-08-2019...को जारी किया गया।

मीनू वर्मा
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी